न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2025 / 148

सिविल प्रकरण संख्या:– 28 / 2025 तारीख रजू 10.06.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री रामजीलाल गुप्ता (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स खण्डेलवाल किराना स्टोर, छीतर चौराहा, लोहा बाजार, शहर सवाई माधोपुर निवासी– 5 पटेल नगर, रणथम्भौर रोड, सवाई माधोपुर – 322001

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 08.01.2026**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नितेश गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत दिनांक 09.03.2025 को 11.45 ए.एम. पर मैसर्स खण्डेलवाल किराना स्टोर, छीतर चौराहा, लोहा बाजार, शहर, सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री रामजीलाल गुप्ता होना बताया एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र दिखाया जो वर्ष 2025 तक के लिए मान्य था। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि संस्थान में एक प्लास्टिक की थैली में लगभग 3–4 किलोग्राम काजू आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ था। उक्त काजू में गुणवत्ता / मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 1 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 800 /– रूपये विक्रेता सुरेश चन्द गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान अशोक मंगल एवं वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एव [illegible] समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सुरेश चन्द गुप्ता ने भी पढकर, समझकर [illegible]कर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता सुरेश चन्द गु[illegible] आवेदक ने खरीदशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Kaju को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा Kaju को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-3660** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **H-3660** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/525 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1029/एक्ट/2025/1036 दिनांक 27.03.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Kaju, **Sub Standard** प्रकृति का होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/781 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा Sub-Standard, Kaju का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधि...
एवं अति. जिला मजि...
सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये वकील उपस्थित हुये। अभियुक्त द्वारा प्रकरण का जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने Sub-standard, Kaju का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्त ने प्रस्तुत जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की फर्म से दिनांक 09.03.2023 को काजू का सेम्पल लिया गया था जो सब–स्टेण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा उच्च क्वालिटी का काजू विक्रय के लिए दुकान में रखा गया था। नमूना लिये गये काजू की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी और ना ही किसी प्रकार की कोई मिलावट थी। प्रार्थी द्वारा दुकान में रखे गये काजू अच्छी गुणवत्ता के थे लेकिन हवा लग जाने के कारण काजू का कलर हल्का पीला पाया गया इस कारण काजू जांच रिपोर्ट में सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का पाया गया है। प्रार्थी गरीब एवं छोटा दुकानदार है जो कम मात्रा में काजू खरीद कर बेचता है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अन्त में वकील अभियुक्त द्वारा प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1029/एक्ट/2025/1036 दिनांक 27.03.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Kaju सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में Superficial damage results 45.18% आया है जोकि 2.0% Maximum होना चाहिए था। इसी प्रकार Presence of testa results 5.81% आया है जोकि 2.0% Maximum होना चाहिए था। इसके साथ ही नमूने में Insect damage results 4.03% आया है जोकि 0.5% Maximum होना चाहिए था। अभियुक्तगण द्वारा उक्त नमूना जांच की पुनः रेफरेल जांच भी नहीं करवाई गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है। ।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)**(ii)** का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति [illegible] से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** Kaju का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 15,000/–रू0 (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **08.01.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:34 IST
Reason: SelfAttested